यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** के माह 02/2015 से 11/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 से 01.01.2018 तक श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.02.2015 से 24.02.2015 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2009 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2- स्वास्थ्य परीक्षण 3- संदर्भ सेवाएं 4- प्रतिरक्षण टीकाकरण 5- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 6- स्कूल पूर्व शिक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) समस्त पिथौरागढ़ जनपद।

(अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00	00	231.27	218.75	1310.95	1182.33	00	141.14
2015-16	00	00	58.17	54.91	143.36	140.95	00	5.68
2016-17	00	00	11.81	8.37	183.23	180.48	00	6.19
2017-18 (10/2017 तक)	00	00	21.40	6.54			00	14.87

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	आई.सी.डी.एस. का संचालन/क्रियान्वयन	00	449.16	440.88	00	8.28
	आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत ST बाहुल्य ग्रामो में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन	00	0.60	0.55	00	.05
	स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान एससी	00	96.35	96.05	00	0.30
	बाल कल्याण की विविध योजनाएं	00	0.12	0.12	00	00
	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	00	14.89	14.57	00	0.32
	आई.सी.डी.एस. परियोजना/AWC	00	24.27	24.27	00	00
	सूचना शिक्षा प्रचार प्रसार	00	4.50	4.40	00	0.10
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	00	5.18	5.00	00	0.18
	आंगनबाड़ी कार्यकत्रि/सहायिका/मिनी कार्यकत्रि प्रशिक्षण	00	3.36	3.33	00	0.03
	निदेशालय आईसीडीएस की स्थापना	00	0.70	0.67	00	0.03
	समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	00	8.09	5.01	00	3.08
2015-16	आईसीडीएस योजना में मैडिसिन किट्स की आपूर्ति	00	0.50	0.48		0.02
	समन्वित बाल विकास योजना	00	25.26	25.26		0.00
	समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ का व्यय	00	5.37	0.12		5.25
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	00	3.13	3.13		0.00
	सूचना शिक्षा प्रचार प्रसार	00	3.50	3.45		0.05
	आई.सी.डी.एस. परियोजना/AWC	00	10.60	10.60		0.00
	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	00	14.86	14.78		0.08
	स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान एससी	00	5.05	5.05		0.00
2016-17	समन्वित बाल विकास के लिए	00	7.00	3.74		3.26

	जिला स्तरीय स्टाफ का व्यय					
	राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना	00	2.20	2.20		0.00
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	00	0.06	0.06		0.00
	सूचना शिक्षा प्रचार प्रसार	00	2.24	2.21		0.03
	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	00	2.35	2.14		0.21
2017-18 (10/2017)	समन्वित बाल विकास योजना	00	0.52	0.52		0.00
	समन्वित बाल विकास के लिए स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था	00	10.18	3.99		6.19
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	00	0.06	0.03		0.03
	सूचना शिक्षा प्रचार प्रसार	00	0.56	0.04		0.52
	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	00	7.00	0.00		7.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केन्द्र द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'अ' श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ.

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 01/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नंदा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, टी.एचआर/कूक्ड फूड, RUTF, किशोरी शक्ति योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- आपूर्तिकर्ता फर्म को निविदित/स्वीकृत दरों से उच्च दरों पर भुगतान किए जाने के फलस्वरुप रु. 34,986.00 की शासकीय हानि।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर की क्रय पत्रावालियों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा इकाई के अंतर्गत संचालित 03 बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना सुविधा उपलब्ध करने हेतु मार्च 2015 में विभिन्न सामग्रियों का क्रय किया गया जिसके लिए निविदा आमंत्रित इकाई द्वारा करते हुए क्रय समिति द्वारा नवम्बर 2014 में विभिन्न निविदादाताओं की न्यूनतम दरों के आधार पर विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु स्वीकृति दी गई थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा आपूर्ति फर्मों को निविदित तथा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक की दरों पर निम्न सामग्री के क्रय का भुगतान किया गया था, फलस्वरुप रु. 34,986.00 की शासकीय हानि हुई।

निविदा/स्वीकृत दरों के सापेक्ष अधिक दरों से भुगतानित सामग्री की सूची

क्र.सं.	सामग्री का नाम	आपूर्ति बिल सं.	निविदित/स्वीकृत दर	भुगतानित दर	अन्तर	आपूर्तित मात्रा	अधिक भुगतान
1.	रोलर बार्ड	2454, 2452, 2456	रु. 48/- प्रति	रु. 90/- प्रति	रु. 42/-	833	34,986/-
कुल योग							**34,986.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मानवीय भूल से आपूर्तिकर्ता फर्म को स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर भुगतान हो गया जिसकी शीघ्र वसूली कर ली जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रु. 34,986.00 की शासकीय हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- 2014-15 में रु. 570.51 लाख, वर्ष 2015-16 में रु. 18.76 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रु. 29.66 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 460XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई.सी.डी.एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक C-26/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की माता समितियों को हस्तांतरित धनराशि के व्यय होने के पश्चात संबंधित मुख्य सेविका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागेश्वर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2014-15 में रु. 34,92,750.00 वर्ष 2015-16 में रु. 18,76,500.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु. 30,00,000.00 की धनराशि आवंटित हुई थी जिसे इकाई द्वारा विभिन्न चैकों के माध्यम से अधीनस्थ आंगनबाड़ी माता समितियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया था। हस्तांतरित धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र अधीनस्थ आंगनबाड़ी माता समितियों के संबंधित सुपरवाइजर से प्राप्त कर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उक्त धनराशियों के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाये गए। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि अधीनस्थ आंगनबाड़ी माता समितियों द्वारा उक्त धनराशि का उसी मद में व्यय किया गया है जिस मद हेतु धनराशि आवंटित की गई थी तथा जारी धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जा चुका है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में रु. 6.36 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी। जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा रु. 5.35 लाख का व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि समर्पित की गई थी। व्यय की गई धनराशि रु. 5.35 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधित सुपरवाइजरों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उपभोग प्राप्त करने के निर्देश जारी किए जा रहे है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2014-15 में रु. 570.51 लाख, वर्ष 2015-16 में रु. 18.76 लाख तथा 2016-17 में रु. 29.66 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
181	2014-15	शून्य	1,2	शून्य
138	2008-09	शून्य	शून्य	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अधिकारियों की संस्तुति के पश्चात लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्रीमती निर्मला अंसारी	22.12.2014 से 27.12.2016
2.	श्री उदय प्रताप सिंह	27.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र